



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937

No. 403]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 15 दिसम्बर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/21/111/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए के साथ पठित धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम उन भारतीय बीमा कंपनियों पर लागू होंगे जिन्हें साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
- i. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - ii. "आवेदक कंपनी" से ऐसी भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसे साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के अनुसार पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;
 - iii. "आवेदन" से इन विनियमों के अधीन पूँजी का निर्गम करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदक कंपनी द्वारा इन विनियमों के फार्म "ए" में दाखिल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;
 - iv. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - v. "कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश" से प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देश अभिप्रेत हैं;
 - vi. "आईसीडीआर विनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित और आशोधित सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 अभिप्रेत हैं;
 - vii. "भारतीय बीमा कंपनी" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (7ए) में यथापरिभाषित "भारतीय बीमा कंपनी" अभिप्रेत है;
 - viii. "निवेशक" का अर्थ वही होगा जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम 2 (एफ) में उसके लिए निर्धारित किया गया है;
 - ix. "प्रस्ताव दस्तावेज" से आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित दस्तावेज अभिप्रेत है;
 - x. आवेदक कंपनी के "प्रवर्तक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में यथापरिभाषित प्रवर्तक अभिप्रेत है तथा इसमें आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में यथापरिभाषित "भारतीय प्रवर्तक" शामिल है; बशर्ते कि सेबी के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के प्रयोजन के लिए, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अंतर्गत "प्रवर्तक" की परिभाषा लागू होगी;
 - xi. "सेबी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा विनियमों में

परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन

3. साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाली कोई भी भारतीय बीमा कंपनी आईसीडीआर विनियमों के अधीन, शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए तथा किसी भी अनुवर्ती निर्गम के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, इन विनियमों अधीन लिखित रूप में प्राधिकरण के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना सेबी से संपर्क नहीं करेगी।

विधि और प्रक्रिया

4. (1) ये विनियम निम्नलिखित किसी भी विकल्प के माध्यम से आईसीडीआर विनियमों के अधीन निधियाँ जुटाने के लिए आवेदक कंपनी पर लागू होंगे।

- i. आईसीडीआर विनियमों के अधीन विक्रय के लिए सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से एक अथवा उससे अधिक प्रवर्तकों अथवा निवेशक द्वारा ईक्विटी का निर्निहितीकरण (डाइवेस्टमेंट); अथवा
- ii. आईसीडीआर विनियमों के अधीन पूँजी का निर्गम; अथवा
- iii. दोनों (i) और (ii)

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 6ए (4)(बी)(ii)/ (iii) के अंतर्गत यथानिर्धारित विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक शेयरों के किसी भी अंतरण सहित, उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) पर विनिर्दिष्ट पूँजी निर्गम को छोड़कर पूँजी के किसी भी अन्य निर्गम के लिए प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। शेयरों का ऐसा अंतरण और उसका अनुमोदन आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) इन विनियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से शेयर पूँजी जुटाने का प्रस्ताव करने वाली आवेदक कंपनी पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से किसी भी समय ऐसा कर सकती है।

बशर्ते कि प्रवर्तक और/ या निवेशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड), यदि कोई हो, का पालन करेंगे।

आगे यह भी शर्त होगी कि साधारण बीमा निगम और साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमा कंपनियाँ प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 10बी के उपबंधों का संतोषजनक अनुपालन करने पर ही आवेदन कर सकती हैं।

(3) प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए आवेदन इन विनियमों के फार्म 'ए' में दाखिल किया जाएगा।

(4) आवेदक कंपनी शेयरों का निर्गम पूर्णतः प्रदत्त रूप में अथवा अंशतः प्रदत्त रूप में कर सकती है। जहाँ अंशतः प्रदत्त शेयर जारी किये गये हों, वहाँ आवेदक कंपनी शेयरों के संबंध में माँग (कॉल्स) के भुगतान के लिए एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि की अनुमति नहीं देगी।

आवेदन पर विचार

5. (1) प्राधिकरण आवेदक कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति, उसके विनियामक वृत्त, पूँजी के निर्गम/विक्रय हेतु प्रस्ताव के लिए आवेदन, पूँजी के निर्गम/विक्रय के लिए प्रस्ताव के बाद पूँजी विन्यास पर विचार करेगा, तथा जुटाने हेतु प्रस्तावित शेयर पूँजी जिन प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, वे प्रयोज्य होंगे।

(2) उपर्युक्त (1) की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा:

- i. वह अवधि जिसके दौरान आवेदक कंपनी साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय में रही है;
- ii. आवेदक कंपनी द्वारा विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन का इतिहास;
- iii. आवेदन दाखिल करने की तारीख से तत्काल पहले की तिमाही से प्रारंभ करते हुए पूर्ववर्ती छह तिमाहियों के अंत में निर्धारित विनियामक शोधक्षमता मार्जिन का अनुरक्षण;
- iv. समय-समय पर यथासंशोधित और आशोधित आईआरडीए परिपत्र सं. आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/एफएण्डए/012/01/2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 के अंतर्गत अधिदेशात्मक की गई प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन;
- v. कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन;
- vi. भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के साथ पठित धारा 2(7ए)(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित "भारतीय स्वामित्वप्राप्त और नियंत्रित" की अपेक्षाओं तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी दिशानिर्देशों का अनुपालन; तथा
- vii. आवेदक कंपनी का पॉलिसीधारक संरक्षण संबंधी रिकॉर्ड।

प्राधिकरण का अनुमोदन

6.(1) अपना अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण निम्नलिखित को निर्धारित कर सकता है।

- i. वह सीमा जहाँ तक प्रवर्तक और निवेशक अपनी संबंधित शेयरधारिता को कम (डाइल्यूट) करेंगे;
- ii. अधिकतम अभिदान जो विदेशी निवेशकों के किसी वर्ग को आबंटित किया जा सकता है;
- iii. शेयरों के आबंटन की तारीख से प्रवर्तकों और निवेशकों के लिए न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड)। यह अवरुद्धता अवधि आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत विद्यमान अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी;
- iv. सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, इन विनियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रॉस्पेक्टस/प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण;

v. आवेदक कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में आशोधन जिससे स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि अधिनियम की धारा 6ए में विनिर्दिष्ट सीमा से

अधिक किसी अंतरण को प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा; तथा

vi. प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली ऐसी अन्य शर्तें।

(2) इन विनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी अनुमोदन किसी प्रकार से किसी भी प्रस्ताव दस्तावेज में आवेदक कंपनी द्वारा किये गये निरूपणों के वैधीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा अथवा वह ऐसा प्रयोजन पूरा नहीं करेगा। यह तथ्य प्रस्ताव दस्तावेज में मोटे अक्षरों में प्रकट किया जाएगा।

7. प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा, यदि उसकी राय हो कि:

(क) आवेदक कंपनी विनियामक ढाँचे का अनुपालन नहीं करती; अथवा.

(ख) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) और/या निवेशक (निवेशकों) द्वारा शेयरधारिता के मंदन (डाइल्यूशन) के बाद आवेदक कंपनी भारतीय स्वामित्व वाली और नियंत्रित नहीं रहेगी; अथवा

(ग) अनुमोदन प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हितों के लिए हानिकर हो सकता है; अथवा

(घ) अनुमोदन प्रदान करना देश में बीमा व्यवसाय के हित में नहीं हो सकता।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए समय-सीमाएँ

8. प्राधिकरण आवेदन का प्रसंस्करण कर उसपर अनुमोदन यथाशीघ्र प्रदान करेगा तथा आवेदक कंपनी आवेदन के प्रसंस्करण के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रश्नों और अनुरोधों का तत्परतापूर्वक उत्तर सुनिश्चित करेगी।

अनुमोदन की विधिमान्यता

9. प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन की विधिमान्यता अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की होगी, जिसके अंदर आवेदक कंपनी इन विनियमों के अनुपालन के अधीन आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत सेबी के पास कद्दी विवरणिका का प्रारूप (डीआरएचपी) दाखिल करेगी। वशर्ते कि प्राधिकरण आवेदक कंपनी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उक्त विधिमान्यता को 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

निर्देश जारी करने का अधिकार

10. प्राधिकरण साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्वामा व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनी को निर्देश दे सकता है कि वह स्वयं को शेयर बाजार (शेयर बाजारों) में सूचीबद्ध करवा ले, यदि परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो।

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

11. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

फार्म ए

**आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा
पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन**

(विनियम 4 (3) देखें)

अध्यक्ष

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

परिश्रम भवन

तीसरी मंजिल, वशीर बाग

हैदराबाद – 500 004

महोदय,

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के अनुसार, मैसर्स.....

(पंजीकरण संख्या..... दिनांक.....) जिसने परिचालन के वर्ष पूरे किये हैं, इसके द्वारा सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) के अधीन एक सार्वजनिक निर्गम के द्वारा निधियाँ जुटाने के लिए अनुमति की अपेक्षा करते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करता है।

2. इसके नीचे सूचीबद्ध रूप में अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ विनियम 5 के अधीन उल्लिखित विभिन्न कार्यनिष्पादन मानदंडों का विवरण अनुबंध में प्रस्तुत किया गया है:

(i)

(ii)

(iii)

3. प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (बीमा कंपनी).....

..... आईसीडीआर विनियमों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास एक प्रस्ताव दस्तावेज एक वर्ष की अवधि के अंदर दाखिल करेगी तथा उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत निहित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय

स्थान:

दिनांक:

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

आवेदनपत्र का अनुबंध

[विनियम 4 (3) के अंतर्गत फार्म ए देखें]

1. आवेदक कंपनी का नामः
2. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का दिनांकः
3. परिचालन के प्रारंभ की तारीख से वर्षों की संख्याः
4. पिछली छह तिमाहियों के लिए शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) की स्थितिः

क्रम सं.	समाप्त तिमाही (नवीनतम तिमाही पहले)	शोधक्षमता की स्थिति
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

5. पिछले पाँच वर्षों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन प्रबंध व्यय संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थितिः

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (नवीनतम वर्ष पहले)	अनुमतियोग्य व्यय (करोड़ रुपये)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)	अनुपालन की स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. पिछले पाँच वर्षों के लिए वीमाकर्ता के निवल लाभ, प्रदत्त पूँजी और निवल मालियत (नेट वर्थ) का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (नवीनतम वर्ष पहले)	निवल लाभ/हानि (करोड़ रुपये)	प्रदत्त पूँजी (करोड़ रुपये)	निवल मालियत (करोड़ रुपये)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि:

मेसर्स इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह समय-समय पर यथासंशोधित और आशोधित आईआरडीए परिपत्र सं. आईआरडीए/ एफएण्डआई/ सीआईआर/ एफएण्डए/ 012/ 01/ 2010 दिनांक 28 जनवरी, 2010 में अधिदेशात्मक की गई प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है।

(यदि कोई विचलन हो तो उसका विवरण प्रकट किया जाना चाहिए)।

8. कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि:

मेसर्स इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालनकर्ता है।

(यदि कोई विचलन हो तो उसका विवरण प्रकट किया जाना चाहिए)।

9. पिछले पाँच वर्षों के दौरान वीमाकर्ता के विरुद्ध आईआरडीएआई द्वारा प्रारंभ की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है: (नवीनतम पहले) :

10. पिछले पाँच वर्षों के लिए कंपनी के पॉलिसीधारक संरक्षण और पॉलिसीधारकों की शिकायतों की विचाराधीनता (पेंडेन्सी) के रिकॉर्ड का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष * परिवर्धन	शिकायतों का निपटान			लंबित शिकायतें
			पूर्णतः स्वीकृत	अंशतः स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें**					
(क)	विक्रय से संबंधित					
(ख)	नये व्यवसाय से संबंधित					
(ग)	पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित					

(घ)	दावा सर्विसिंग से संबंधित					
(ङ)	अन्य					
	कुल संख्या					
2	अवधि-वार लंबित स्थिति	ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें	मध्यवर्तियों द्वारा की गई शिकायतें			कुल
(क)	15 दिन से कम					
(ख)	15 दिन से अधिक					
	कुल संख्या					

* प्रारंभिक शेष को पिछ्ले वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष के साथ मेल खाना चाहिए।

**मध्यवर्तियों द्वारा की गई शिकायतों के लिए इसी प्रकार का अलग-अलग विवरण देना होगा।

11. पिछले पाँच वर्षों के लिए बकाया दावों का विवरण:

बकाया दावे*

5	वर्ष के अंत में बकाया दावे										
	बकाया दावों का अवधि- वार विवरण										

क्रम सं.	विवरण	फायर	मरीन कार्ग	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर**	स्वास्थ्य	वैयक्तिक	दुर्घटना	देशता बीमा	अन्य विविध	कुल
	0-3 महीने											
	3-6 महीने											
	6-12 महीने											
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक											
	3 वर्ष से 5 वर्ष तक											
	5 वर्ष और उससे अधिक											

*विवरण दावों की संख्या और बकाया दावों की राशि दोनों के लिए दिया जाना चाहिए

**मोटर को आगे मोटर ओडी, मोटर टीपी के रूप में अलग किया जा सकता है

12. निर्गम के पहले की और बाद की शेयरधारिता के स्वरूप का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	शेयरधारिता का वर्तमान स्वरूप			विक्रय/निर्गम के लिए प्रस्तावित पेशकश	प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप		
		स्थिति (भारतीय/ विदेशी)	धारित शेरों की संख्या	धारित प्रतिशत		शेरों की संख्या	प्रतिशत	स्थिति (भारतीय/ विदेशी)
1.								
2.								
3.								

13. भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन का पुष्टीकरण:

मेसर्स.....इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 और प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 (7ए)(बी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में भारतीय स्वामित्व-प्राप्त और नियंत्रित संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है तथा इस आवेदन के अनुसार पूँजी के निर्गम के बाद लगातार अनुपालनकर्ता रहेगा।

14. आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित रूप में पूँजी निर्गम/विक्रय के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले कंपनी सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित को संपन्न बोर्ड की बैठक के आवश्यक उद्धरण संलग्न हैं।

इसके द्वारा पुष्टि की जाती है कि साथ में दिये गये संलग्नों सहित फार्म ए और अनुबंध में प्रस्तुत सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा दबाया नहीं गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

स्थान:

दिनांक:

अनुसूची 1

[विनियम 6(1)(iv) देखें]

बीमा कंपनियों के लिए प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर) में पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के लिए ढाँचा निर्धारित किया है। आईसीडीआर की अनुसूची VIII के भाग 'ए' के अंतर्गत रेड हेरिंग विवरणिका, शेल्फ विवरणिका और विवरणिका में प्रकटीकरण अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं।

इन विनियमों के अधीन पूँजी निर्गम/विक्रय के लिए प्रस्ताव करने की अपेक्षा करने वाली आवेदक कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी। ये प्रकटीकरण आईसीडीआर विनियमों में सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त होंगे तथा इन्हें सेबी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनादर के रूप में नहीं देखा जाएगा।

(क) आवेदक कंपनी के लिए विशिष्ट जोखिम कारक;

(ख) बीमा उद्योग की समीक्षा;

(ग) वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण;

(घ) बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली;

(ङ) निर्गम का ब्योरा;

(च) जारीकर्ता के बारे में विवरण;

(छ) कानूनी और अन्य जानकारी।

प्रकटीकरणों का विवरण नीचे निर्दिष्ट रूप में है:

(क) आवेदक कंपनी के लिए विशिष्ट जोखिम कारक

प्रस्ताव दस्तावेज में बीमा क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वियोजित किया जाएगा:

- 1. बीमा जोखिम:** सर्वोत्तम प्राक्कलन के गलत अनुमान के कारण अथवा दावों और अन्य नकदी प्रवाहों की बारंबारता और आकार में यादृच्छिक घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम।
- 2. बाजार जोखिम:** विदेशी बाजार और आर्थिक कारकों के कारण परिसंपत्तियों, देयताओं और वित्तीय लिखतों की बाजार कीमतों के स्तर में परिवर्तनों अथवा उनकी अस्थिरता से उत्पन्न होने वाला जोखिम।
- 3. ऋण जोखिम:** पुनर्बीमा और वित्तीय व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) जैसी जोखिम न्यूनीकरण संविदाओं के प्रति चूक के जोखिम सहित, प्रतिपक्षकार अथवा बाध्यताधारी की चूक का जोखिम।
- 4. चलनिधि जोखिम:** वह जोखिम जहाँ प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आस्तियों की वसूली करने अथवा अन्य प्रकार से निधियाँ जुटाने में व्यवसाय कठिनाई का सामना करे।

5. परिचालन जोखिम: अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, अथवा बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम।

6. आपाती हानि जोखिम: आपाती हानियों के कारण लाभप्रदता अथवा नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव।

7. पुनर्बीमा जोखिम:

- सामयिक आधार पर पुनर्बीमा प्राप्त न करना।
- एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा चूक।

8. कानूनी जोखिम: एक या उससे अधिक कानूनी मामलों के अननुकूल परिणाम का अंतिम दावा देयता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव।

साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसायों में कानूनी कार्रवाइयाँ अंतर्निहित हैं। बीमाकर्ता दावा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के अधीन हैं, जिनके परिणाम अनिश्चित हैं। एक या उससे अधिक कानूनी मामलों में अननुकूल परिणाम की स्थिति में कंपनी की अंतिम देयता विशेष रूप से मोटर अन्य पक्ष बीमा दावों के मामले में महत्वपूर्ण रूप से अधिक हो सकती है।

9. विनियामक जोखिम:

- विनियामक परिवर्तनों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव
- विनियामक जाँच-पड़ताल तथा परिणामी प्रतिबंध अथवा दंड बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, परिचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

10. वितरण जोखिम:

- कुछ वितरण माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता।
- विभिन्न वितरण माध्यमों को विकसित न करना।
- एजेन्सी बल विकसित करने में कठिनाई।

11. अन्य जोखिम

- चयनित बीमांकिक कार्मिकों पर अत्यधिक निर्भरता।
- वित्तीय विवरणों को समझने में कठिनाई।
- अप्रत्याशित दावों और बीमा-रक्षा संबंधी मुद्दों के प्रभाव।
- बीमा कंपनी की पॉलिसियों का क्षेत्र/प्रकार द्वारा संकेन्द्रण।
- बीमा उद्योग का चक्रीय स्वरूप।
- लाभों, दावों और अन्य लागतों का पूर्वानुमान करने में अथवा ऐसी लागतों का प्रबंध करने में कठिनाई।

कम से कम, उक्त संबद्ध जोखिम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित निदर्शी सूची को सम्मिलित करेंगे।

(ख) बीमा उद्योग की समीक्षा

बीमा उद्योग की समीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर विवरण प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि, वैश्विक और देशी बीमा परिवेश, उद्योग का दृष्टिकोण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, क्षेत्र द्वारा निधियों का निवेश, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), मध्यवर्ती संस्थाएँ, बीमा विधान में परिवर्तन, तथा लागू कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति को समाविष्ट किया जाएगा:

- 1. प्रस्तावना**
- 2. बीमा उद्योग के बारे में पृष्ठभूमि**
 - 2.1 बीमा उद्योग का विहंगावलोकन
 - 2.2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- 3. वैश्विक बीमा परिवेश – बीमा व्यापन, सघनता, उद्योग का विकास, आदि को समाविष्ट करते हुए वैश्विक और घरेलू परिदृश्य के संबंध में संक्षेप।**
 - 3.1 वैश्विक बीमा परिवेश
 - 3.2 देशी बाजार समीक्षा
- 4. उद्योग का दृष्टिकोण – साधारण बीमा अथवा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा – जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम**
 - 4.1 बाजार अंश (% शेयर)
 - 4.2 व्यवसाय का विकास
- 5. प्रवृत्तियों का विश्लेषण – साधारण बीमा अथवा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा**
 - 5.1 साधारण बीमा
 - 5.1.1 विस्तारित बीमा-रक्षा
 - 5.1.2 नये उत्पादों का प्रारंभ
 - 5.1.3 प्रशुल्क-युक्त और प्रशुल्क-रहित उत्पाद
 - 5.1.4 पुनर्बीमा द्वारा समर्थित उत्पाद
 - 5.2 स्वास्थ्य बीमा
 - 5.2.1 विस्तारित बीमा-रक्षा
 - 5.2.2 नये उत्पादों का प्रारंभ
 - 5.3 पुनर्बीमा व्यवसाय
- 6. बीमा उद्योग द्वारा निधियों का निवेश**
 - 6.1 निवेश का स्वरूप
- 7. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)**

8. मध्यवर्ती संस्थाएँ

8.1 कमीशन संरचना

8.2 साधारण बीमा अथवा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा

9. बीमा विधान में परिवर्तन

9.1 बीमा विधान में परिवर्तन

9.2 विनियामक विषय और परिवर्तन

9.3 उपभोक्ता संबंधी परिवर्तन

9.4 अनावश्यक खंडों को हटाना

9.5 आईआरडीएआई के प्रवर्तन अधिकारों में वृद्धि करना और दंड लगाना

10. बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश

11. उपसंहार

(ग) वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण

बीमा उद्योग के लिए विशिष्ट प्रकटीकरणों के अंतर्गत मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

1. **वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण:** वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फार्मेटों के अनुसार आईसीडीआर विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा।
2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :** वित्तीय विवरण को पुनर्व्यवस्थित करते समय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।
3. वित्तीय विवरणों के लिए **अतिरिक्त प्रकटीकरण** किये जाएँगे:
 - i. सकल प्रीमियम – भौगोलिक खंडीकरण के साथ
 - ii. प्रति-विक्रय (क्रॉस सेलिंग)
 - iii. वितरण का नेटवर्क
 - iv. परिचालन व्यय अनुपात
 - v. निवेश प्रतिफल
 - vi. ईक्स्ट्री और बांडों में निवेश – प्रतिफल, प्रत्येक उद्योग को एक्सपोज़र और कुल निवेश तथा साथ ही ईक्स्ट्री और बांडों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में कुल निधियों के 5% से अधिक का निवेश
 - vii. पुनर्बीमा और पुनर्बीमा कार्यनीति : अलग-अलग देशी और विदेशी विवरण सहित पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या
 - पुनर्बीमाकर्ताओं का रेटिंग
 - पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था का प्रकार;
 - क. समझौता (ट्रीटी) पुनर्बीमाकर्ता

1. आनुपातिक समझौते
 - क. बाध्यकर और
 - ख. अन्य
2. गैर-आनुपातिक समझौते
 - क. हानि का आधिक्य
 - ख. हानि रोध
 - ग. कोई अन्य
 - घ. विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा
 - ग. बाध्यकर और
 - घ. अन्य
 - बकाया पुनर्बीमा शेष – अवधि-वार
 - अधिकतम संभावित हानि अनुपात
- viii. उपगत परंतु सूचित नहीं किया गया (आईबीएनआर)/उपगत परंतु पर्यास रूप से सूचित नहीं किया गया (आईबीएनईआर)
- ix. पिछ्ले पाँच वर्षों के लिए बकाया दावे
- x. पिछ्ले तीन वर्षों के लिए बीमा कंपनी के विरुद्ध लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय
- xi. व्याज दर संवेदनशीलता
- xii. अप्राप्त अभिलाभ/हानियों की गणना करने की विधि
- xiii. शोधक्षमता (साल्वेन्सी) अनुपात
- xiv. एजेंट उत्पादकता
- xv. इस बात की पुष्टि करते हुए लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण कि देयताओं की राशि का निर्धारण आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 में निर्धारित तरीके से किया गया है तथा देयताओं की राशि उचित और युक्तिसंगत है। लेखा-परीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि देयताओं की राशि में आईबीएनआर (और आईबीएनईआर) आरक्षित निधियाँ शामिल हैं जिन्हें नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया गया है;
- xvi. अनुभव का विश्लेषण; प्रीमियमों की पर्यासता; आरक्षित निधियों की पर्यासता; आस्ति-देयता प्रबंध; तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति का विवरण जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित साधारण बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।
- xvii. पिछ्ले पाँच वर्षों के लिए किये गये वर्ष-वार प्रावधानों और किये गये वास्तविक भुगतानों की तुलना।

xviii. लेखांकन और अन्य अनुपातः समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में बीमा उद्योग के विशिष्ट संदर्भ में उक्त अनुपातों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

4. शिकायत निवारण और दावों के निपटान की अवधि सहित परंतु इन्हीं तक असीमित, पिछले पाँच वर्षों के लिए पॉलिसीधारक संरक्षण और पॉलिसीधारकों की शिकायतों की विचाराधीनता (पेंडेंसी) के संबंध में कंपनी के रिकॉर्ड का विवरण।
5. कानूनी और अन्य सूचनाः बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उनके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन।

(घ) परिभाषाएँ और संक्षिप्ताक्षरः

कम से कम, जारीकर्ता और उद्योग से संबंधित शब्दों का विवरण देते हुए प्रस्ताव दस्तावेज में, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित निर्दर्शी शब्दावली शामिल की जाएगी।

(ङ) निर्गम का विवरणः

निर्गम के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाएँगे:

क. शोधक्षमता (साल्वेन्सी) की अपेक्षा को बढ़ाना;

ख. सामान्य कॉरपोरेट प्रयोजन; और/या

ग. कोई अन्य प्रयोजन जिसके लिए प्राधिकरण का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त हो।

(च) जारीकर्ता के बारे में विवरणः बीमा कंपनी के बारे में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किये जाएँगे:

1. कॉरपोरेट अभिशासनः

- इस आशय का प्रकटीकरण कि बीमाकर्ता ने सूचीबद्धता करार में निहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
- जारीकर्ता के द्वारा गठित सभी समितियों का विवरण, प्रत्येक समिति के सदस्यों के नामों तथा विचारार्थ विषयों के सार-संक्षेप सहित जिनके अधीन संबंधित समिति परिचालन करती हो।

2. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति

3. निवेशक

4. प्रवर्तक

(छ) कानूनी और अन्य सूचनाः

अस्वीकरण खंडः

यह निर्दिष्ट करते हुए घोषणा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई") बीमा कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए अथवा किये गये किसी भी वक्तव्य के सहीपन के लिए अथवा इस संबंध में अभिव्यक्त किसी भी अभिमत के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./161/15(292)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 15th December, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/21/111/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 114A read with Section 6A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations in supersession of the Insurance Regulatory and Development Authority (Issuance of Capital By General Insurance Companies) Regulations, 2013, namely:

1. Short title and commencement

- (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These Regulations shall be applicable to Indian Insurance Companies which have been granted certificate of registration to transact the business of General insurance or Health insurance or Reinsurance.

Definitions

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires;

- i. **“Act”** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - ii. **“Applicant Company”** means an Indian Insurance Company which has been granted certificate of registration in terms of Section 3 of the Act to transact the business of general insurance or health Insurance or reinsurance;
 - iii. **“Application”** means the application in Form “A” of these Regulations filed by the applicant company for obtaining prior approval of the Authority for issuance of capital under these Regulations;
 - iv. **“Authority”** means Insurance Regulatory and Development Authority of India established under section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;
 - v. **“Corporate Governance Guidelines”** means the guidelines issued by the Authority in this regard;
 - vi. **“ICDR Regulations”** means the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended and modified from time to time;
 - vii. **“Indian Insurance Company”** means an “Indian Insurance Company” as defined in section 2 (7A) of the Insurance Act, 1938;
 - viii. **“Investor”** means an “investor” as defined in regulation 2 (f) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;
 - ix. **“Offer Document”** means an “offer document” as defined under the ICDR Regulations;
 - x. **“Promoter”** of an applicant company means a “promoter” as defined in Section 2 (69) of the Companies Act, 2013 and includes “Indian Promoter” as defined in IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;
- Provided that** for the purpose of filing of the offer document with SEBI, the definition of “promoter” under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 shall apply;
- xi. **“SEBI”** means the Securities and Exchange Board of India established under Section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).
- (2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the same meaning as respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

Prior Written Approval by the Authority

3. No Indian insurance company transacting the General insurance or Health insurance or Reinsurance business shall approach the SEBI for public issue of shares and for any subsequent issue, by whatsoever name called, under the ICDR Regulations without the specific previous approval of the Authority in writing under these Regulations.

4. Manner and Procedure

(1) These Regulations shall be applicable to the Applicant Company to raise funds under the ICDR Regulations through any of the following options :

- i. Divestment of equity by one or more of the promoters or the investor (s) through a public offer for sale under the ICDR Regulations; or
- ii. Issue of Capital under ICDR Regulations; or
- iii. Both (i) and (ii)

Provided that any issue of capital other than as specified at (i), (ii) and (iii) above, including any transfer of shares beyond the specified limits as laid down under section 6A (4)(b)(ii)/(iii) of the Act, shall require the specific prior approval of the Authority. Such transfer of shares and approvals thereof shall be governed by the IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.

(2) An applicant company proposing to raise share capital through a public issue in terms of these Regulations may do so at any time from the date of grant of Certificate of Registration.

Provided that promoters and/or investors shall abide by the lock in period, if any, specified by the Authority at the time of grant of Certificate of Registration.

Provided further that General Insurance Corporation of India and the insurance companies specified under section 10A of the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 can apply for approval of the Authority only on satisfactory compliance with the provisions of section 10B of General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972.

(3) The application for approval of the Authority shall be filed in Form ‘A’ of these Regulations.

(4) The Applicant Company may issue shares as fully paid up or partly paid up shares. Where partly paid up shares have been issued, the Applicant Company shall not allow any period exceeding one year for payment of calls on shares.

Consideration of application

5. (1)The Authority shall consider the applicant company’s overall financial position, its regulatory record, the application for issue/offer for sale, the capital structure post issue/offer for sale, and the purposes for which the share capital proposed to be raised, will be applied.

(2) Without prejudice to the generality of (1) above, the Authority shall consider the following aspects for grant of approval:

- i. The period for which the applicant company has been in general insurance or health insurance or reinsurance business;
- ii. The history of compliance with the regulatory requirements by the applicant company;
- iii. The maintenance of the prescribed regulatory solvency margin as at the end of the preceding six quarters commencing from the quarter immediately prior to the date of filing the application;
- iv. Compliance with the disclosure requirements mandated under IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time;
- v. Compliance with the Corporate Governance Guidelines;
- vi. Compliance with the requirements of “Indian owned and controlled” as defined under section 2(7A) (b) of the Act read with the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and any guidelines issued by the Authority in this regard; and
- vii. The record of policyholder protection of the applicant company.

Approval of the Authority

6. (1) While according its approval, the Authority may prescribe the following:

- i. The extent to which the promoters and the investors shall dilute their respective shareholding;
- ii. The maximum subscription which may be allotted to any class of foreign investors;
- iii. Minimum lock-in period for the promoters and the investors from the date of allotment of shares. The lock in period shall be without prejudice to the requirements which may be in place under the ICDR Regulations;
- iv. Disclosures in the Prospectus/Offer document as indicated at Schedule 1 of these Regulations, in addition to such disclosures as may be prescribed by SEBI;

- v. Modification in the Articles of Association of the Applicant company so as to explicitly provide that no transfer beyond the limit specified in Section 6A of the Act shall be registered without the prior approval of the Authority; and
- vi. such other conditions as may be deemed fit by the Authority.

(2) Any approval by the Authority under these Regulations shall not in any manner be deemed to be or serve as a validation of the representations by the applicant company in any offer document. This fact shall be disclosed in bold letters in the offer document.

7. The Authority shall not accord its approval if it is of the opinion that:

- (a) The applicant company is not compliant with the regulatory framework; or
- (b) Consequent upon the dilution of shareholding by the promoter(s) and/or Investor(s) or issue of fresh capital, the applicant company shall not be Indian owned and controlled; or
- (c) The grant of approval may be detrimental to the interests of policyholders; or
- (d) The grant of approval may not be in the interest of the insurance business in the country.

Timelines for approval by the Authority

8. The Authority shall process and grant approval on the application as expeditiously as possible, and the applicant company shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

Validity of Approval

9. The approval granted by the Authority shall be valid for a period of one year from the date of issue of the approval letter, within which the applicant company shall file the Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI under the ICDR Regulations subject to compliance of these Regulations.

Provided that the Authority may, on receipt of a written request from applicant company, extend the validity by a further period of six months.

Power to issue Direction

10. The Authority may direct an Indian Insurance Company transacting general insurance or health insurance or reinsurance business to get listed on the stock exchange(s) if the circumstances so warrant. Such company shall, notwithstanding the lock-in period, within a period of one year from the date of such directions, comply with the directions issued by the Authority.

Power to remove difficulties and issue clarifications:

11. In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

FORM A

Application for approval in terms of IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015

[Please refer Regulation 4(3)]

The Chairman

Insurance Regulatory and Development Authority of India
Parishram Bhavan
3rd Floor, Basheer Bagh
Hyderabad – 500 004

Sir,

In terms of the IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015, M/s (Registration No. dated) which has completed years of operations, hereby applies to the Authority seeking permission to raise funds through a public issue under the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations).

2. The details of the various performance parameters referred to under Regulation 5 are placed at Annexe along with the requisite enclosures as listed below:

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. On receipt of the approval from the Authority, the (insurance company)shall file an offer document with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the ICDR Regulations within a period of one year and shall ensure compliance with the requirements under the said Regulations and such other conditions as the Authority may impose while granting approval.

Place:

Yours faithfully

Date:

(Signature of the Chief Executive Officer)

Designation

(Signature of the Chairman of the Board)

Designation

Annexure to the Application

[Please refer Form A under Regulation 4(3)]

1. Name of the applicant Company:
2. Registration No. and Date of Registration:
3. Number of years from the date of commencement of operations:
4. Solvency Position for the last six quarters:

Sl. No.	Quarter Ended (Latest quarter first)	Solvency Position
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. Status of Compliance with the Expenses of Management requirements under the Insurance Act, 1938 and the Regulations made thereunder for the last five years:

Sl. No.	Financial Year (latest year first)	Allowable Expenditure (Rs. in Crore)	Actual Expenditure (Rs. in Crore)	Compliance Status
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. Details of net profit, paid up capital and net-worth of the insurer for the last five years:

Sl. No.	Financial Year (latest year first)	Net Profit/Loss (Rs. in Crore)	Paid-up Capital (Rs. in Crore)	Net-worth (Rs. In Crore)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. Confirmation of Compliance with the Disclosure Requirements:

M/s. hereby confirms that it is compliant with the disclosure requirements as mandated in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time.

(Details of deviations, if any should be brought out).

8. Confirmation of Compliance with the Corporate Governance Guidelines:

M/s. hereby confirms that it is compliant with the Corporate Governance Guidelines issued by IRDAI.

(Details of deviations, if any should be brought out).

9. Details of the regulatory action initiated by IRDAI against the insurer during the last five years are as under: (Latest First):

10. Details of company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years:

GRIEVANCE DISPOSAL							
Sl. No.	Particulars	Opening Balance*	Additions	Complaints Resolved			Complaints Pending
				Fully Accepted	Partial Accepted	Rejected	
1	Complaints made by customers**						
a)	Sales Related						
b)	New Business Related						
c)	Policy Servicing Related						
d)	Claims Servicing Related						
e)	Others						
Total Number							
2	Duration wise Pending Status	Complaints made by customers		Complaints made by Intermediaries		Total	
a)	Less than 15 days						
b)	Greater than 15 days						
Total Number							

*Opening balance should tally with the closing balance of the previous financial year.

** Similar break-up to be given for the complaints made by intermediaries

11. The details of claims outstanding for the last five years :

CLAIMS OUTSTANDING*

*Details to be furnished for both number of claims and amount of outstanding claims

**Motor may further be segregated into Motor OD and Motor TP

12. The details of the pre and post issue shareholding pattern are as under:

13. Confirmation of compliance with Indian Owned and Controlled:

M/s hereby confirms that it is compliant with the requirements of Indian owned and controlled as defined under section 2(7A) (b) of the Act read with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and Guidelines issued by the Authority and shall continue to be compliant after the issue of capital in accordance with this application.

14. The requisite extracts of the Board meeting held on duly certified by the Company Secretary approving the issuance of capital/ offer for sale as proposed by the applicant company are enclosed.

It is hereby confirmed that the information furnished in Form A and Annexure along with the attachments therewith is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

(Signature of the Chief Executive Officer)

Designation

(Signature of the Chairman of the Board)

Designation

Place:

Date:

SCHEDULE 1

[Please refer regulation 6 (1)(iv)]

Disclosure Requirements for Insurance Companies:

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has laid down the framework for issue of capital and disclosure requirements in the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR). Part 'A' of Schedule VIII of the ICDR lays down the disclosure requirements in the Draft Red Herring Prospectus, Shelf Prospectus and Prospectus.

An applicant company seeking to issue capital/make an Offer for Sale under these Regulations shall make the following disclosures in the offer document. These disclosures shall be in addition to the prescriptions laid down by SEBI in the ICDR Regulations and shall not be seen in derogation from the requirements prescribed by SEBI:

- (a) Risk factors specific to the applicant company;
- (b) Overview of the insurance industry;
- (c) Disclosure of Financial Statements;
- (d) Glossary of terms used in the insurance sector;
- (e) Particulars of the Issue;
- (f) Particulars about the Issuer;
- (g) Legal and Other Information.

The details of disclosures are as indicated below:

(a) Risk factors specific to the applicant company

The Offer Document shall list out the risk factors specific to the insurance sector, to be broadly segregated into the following categories:

1. **Insurance Risk:** Risk arising because of inaccurate estimation of the best estimate or because of random fluctuations in the frequency and size of the claims and other cash flows.
2. **Market Risk:** Risk arising out of variations in the level or volatility of the market price of assets, liabilities and financial instruments due to external market and economic factors.
3. **Credit Risk:** Risk of default of a counterparty or obligor, including the risk of default of risk mitigating contracts like reinsurance and financial derivatives.
4. **Liquidity Risk:** The risk that the business will encounter difficulty in realizing assets or otherwise raising funds to meet commitments.
5. **Operational Risk:** The risk of loss, resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events.

6. Catastrophic Losses Risk: Material impact on profitability or cash flow due to catastrophic losses.

7. Reinsurance Risk

- Failure to obtain reinsurance on timely basis.
- Default by one or more reinsurers.

8. Legal Risk : Material adverse impact on ultimate claim liability of unfavourable outcome of one or more legal action:

Legal actions are inherent in general insurance, health insurance and reinsurance businesses. Insurers are subject to litigation and other legal proceedings as part of the claims process, the outcomes of which are uncertain. In the event of an unfavourable outcome in one or more legal matters, the ultimate liability of the company may be significantly high especially in case of Motor Third Party insurance Claims.

9. Regulatory Risks:

- Material effects due to Regulatory changes
- Regulatory investigations and the resulting sanctions or penalties may adversely affect the reputation, business, result of operations and financial condition of the insurance company

10. Distribution Risks:

- Over dependence on certain distribution channels.
- Failure to develop various distribution channels
- Difficulty in developing agency force.

11. Other risks

- Excessive dependence on select actuarial personnel.
- Difficulty in understanding financial statements
- Effects of unexpected claims and coverage issues
- Concentration by region/type of policies issued by the insurance company
- Cyclical nature of insurance industry
- Difficulty in predicting benefits, claims and other costs or to manage such costs.

At the minimum, the associated risks shall cover the illustrative list as prescribed by the Authority from time to time.

(b) Overview of the insurance industry

The overview of the insurance industry shall briefly cover the background of the insurance industry, the global and domestic insurance environment, industry outlook, analysis of trends, Investment of funds by the sector, FDI in Insurance Sector, Intermediaries, changes in Insurance Legislation, and compliance status with the applicable Corporate Governance Guidelines furnishing particulars on the following aspects:

1. Introduction

2. Background about Insurance Industry

- 2.1. Overview of the Insurance Industry
- 2.2. Insurance Regulatory and Development Authority of India

3. Global Insurance Environment—A brief on global and domestic scenario covering insurance penetration, density, growth of industry, etc.

- 3.1. Global Insurance Environment
- 3.2. Domestic Market Overview

4. Industry Outlook—General Insurance or standalone Health insurance or Reinsurance—Total premium underwritten

- 4.1. Market Share (% share)
- 4.2. Growth of Business

5. Analysis of Trends—General Insurance or standalone Health insurance or Reinsurance

- 5.1. General Insurance
 - 5.1.1. Enlarged Coverage
 - 5.1.2. Introduction of New Products
 - 5.1.3. Tariffed and non-tariffed products
 - 5.1.4. Reinsurance supported Products
- 5.2. Health insurance
 - 5.2.1. Enlarged Coverage
 - 5.2.2. Introduction of New Products
- 5.3. Reinsurance Business

6. Investment of Funds by the Insurance Industry

- 6.1. Investment Pattern

7. FDI in Insurance Sector
8. Intermediaries

- 8.1. Commission Structure
- 8.2. General Insurance or Standalone Health Insurance or Reinsurance

9. Changes in Insurance Legislation

- 9.1. Change in Insurance Legislation
- 9.2. Regulatory Issues and Changes
- 9.3. Consumer Related Changes
- 9.4. Removal of Redundant Clauses
- 9.5. Enhancement of Enforcement Powers of the IRDAI and Levy of Penalties

10. Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies
11. Conclusion

(c) **Disclosure of Financial Statements**

Disclosures specific to the insurance industry would broadly cover the following aspects:

1. **Presentation of the financial statements:** The presentation of financial statements shall be made for the period as specified in the ICDR Regulations as per the formats prescribed by the Authority from time to time.
2. **Significant accounting policies:** Disclosure of the significant accounting policies while recasting the financial statement shall also be made.
3. **Additional disclosures** shall be made to the financial statements:
 - i. Gross premium- along with Geographic segmentation
 - ii. Cross selling
 - iii. Distribution network
 - iv. Operating expense ratio
 - v. Investment yield
 - vi. Investment in Equity and Bonds – yield, exposure to each industry and total investment and also Investment of above 5% of total Funds in each sector through equity and bonds
 - vii. Reinsurance and Reinsurance Strategy : Number of re-insurers with break-up domestic and foreign
 - Rating of reinsurers
 - Type of arrangement with Reinsurers;

A. Treaty Reinsurers

1. Proportional treaties
 - a. Obligatory and
 - b. Others
2. Non-proportional Treaties
 - a. Excess of Loss
 - b. Stop Loss
 - c. Any other

B. Facultative Reinsurance

C. Obligatory and

D. Others

- Reinsurance balances outstanding –age-wise
- Maximum Probable Loss Ratio

- viii. Incurred but not reported (IBNR)/Incurred but not enough reported (IBNER)
- ix. Claims outstanding for the last five years
- x. Awards given by Ombudsmen against the Insurance Company for last three years
- xi. Interest rate sensitivity
- xii. Manner of arriving at unrealized gains/losses
- xiii. Solvency ratio
- xiv. Agent Productivity
- xv. Certification by the Auditor confirming that the amount of liabilities have been determined in the manner prescribed in the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 and the amount of liabilities are fair and reasonable. The Auditor shall also certify that the amount of liabilities includes the IBNR (and the IBNER) reserves have been determined by the appointed actuary;
- xvi. Details of Experience analysis; adequacy of premiums; adequacy of reserves, Assets Liability Management; and Current Financial Condition as required to be disclosed under the Financial Condition Report for General insurance, health insurance and reinsurance companies as stipulated by the Authority
- xvii. A comparison of year-wise provisions made and the actual payouts made for last five years
- xviii. Accounting and other ratios: The ratios with specific reference to the insurance industry as prescribed by the Authority from time to time shall be disclosed.

4. Details of the Company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years, including but not limited to grievance redressal and ageing of claims.
5. Legal and Other Information: Compliance with the regulatory requirements laid down by the Authority under the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and the Regulations framed thereunder.

(d) Glossary of terms used in the insurance sector:

At the minimum, the illustrative glossary of terms as prescribed by the Authority from time to time shall be included in the Offer Document giving details of the Issuer and industry related terms.

(e) Particulars of the Issue:

The following disclosures shall be made about the objects of the Issue:

- a. to augment the solvency requirement;
- b. general corporate purposes; and/or
- c. any other purpose which has the specific approval of the Authority.

(f) Particulars about the Issuer:

The following additional disclosures shall be made about the insurance company:

1. Corporate Governance:

- Disclosure to the effect that the insurer has complied with the requirements of Corporate Governance as laid down by the Authority in addition to those contained in the Listing Agreement.
- Details of all Committees set up by the issuer, including the names of committee members and a summary of the terms of reference under which the respective committee operates.

2. Key Managerial Persons**3. Investors****4. Promoters****(g) Legal and Other Information:*****Disclaimer clause:***

The declaration indicating that Insurance Regulatory and Development Authority of India (“IRDAI”) does not undertake any responsibility for the financial soundness of the insurance company or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./161/15(292)]